



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

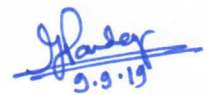
॥ संशोधित अधिसूचना ॥

क्रमांक 1088/अका./2019

रायपुर, दिनांक 09/09/2019

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 849/अका./2019, दिनांक 08.08.2019 द्वारा प्रसारित विधि संकाय को संशोधित कर विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 9 की कंडिका (2) की उपकंडिका (a) से (f) तक निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

विधि संकाय		
9(2)(a)	संकायाध्यक्ष (अध्यक्ष)	डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, प्रभारी संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, आचार्य एवं अध्यक्ष, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
9(2)(b)	संकाय के अंतर्गत समाहित विषयों के समस्त अध्यक्ष-अध्ययन बोर्ड।	1. डॉ. (श्रीमती) विनिता अग्रवाल, जे.योगानंदम शास. छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर
9(2)(c)	संकाय के अंतर्गत विषयों के अध्ययन शाला के समस्त आचार्य।	1. पदेन
9(2)(d)	विधि महाविद्यालय के समस्त प्राचार्य	पदेन
9(2)(e)	विधि महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष।	1. डॉ. (श्रीमती) विनिता अग्रवाल, जे.योगानंदम शास. छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. (श्रीमती) प्रीति सतपथी, एस.के.टी विधि महावि., रायपुर 3. श्री दुर्गेश प्रसाद, बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महावि., धमतरी 4. श्री शशिकांत त्रिपाठी, शास. डी.बी.डी.के. महावि., बलौदाबाजार
9(2)(f)	संकाय के अंतर्गत अध्यापन करने वाले विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के एक सह आचार्य, संबद्ध महाविद्यालय के एक सहआचार्य, तीन व्याख्याता, वरिष्ठता चक्रानुक्रम में।	1. पदेन 1. पदेन 1. डॉ. प्रिया राव, विधि अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर 2. डॉ. वेणुधर रौतिया, विधि अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर 3. डॉ. सुरेन्द्र कुमार, जे.योगानंदम छ.ग. शास. महाविद्यालय, रायपुर


9.9.19

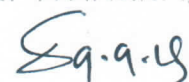
कुलसचिव

पृ.क्र. 1089/अका./2019

रायपुर, दिनांक 09/09/2019

प्रतिलिपि :-

1. महानिहित राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
2. आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
3. संकाय के समस्त सदस्यों को
4. अध्ययन बोर्ड के समस्त सदस्यों को
5. सहायक कुलसचिव गोपनीय, उच्च कुलसचिव परीक्षा विभाग
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनाार्थ।


9.9.19

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)